कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री रामूलाल मीना पुत्र कल्याण सहाय मीना निवासी–रामपुरा–पोस्ट बोरोदा वाया सैंथल तहसील व जिला दौसा –303507

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी दौसा

अपील सं0 17/2019

<u>निर्णय</u> दिनांक : 12.06.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी दौसा को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 29.03.2019 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी दौसा से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर उनको पुनः इस कार्यालय के पत्रांकः डीएम/कोर्ट/852 दिनांक 15.05.2019 द्वारा स्मरण–पत्र जारी किया गया। किंतु लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी दौसा की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी दौसा का जवाब स्मरण पत्र के बावजूद भी प्राप्त नहीं होना गंभीर बात है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा